

# Order Sheet [Contd]

Case No 266/2017 एस0टी0

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
29.06.2017	<p>राज्य द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर। आरोपीगण सहित श्री के0पी0राठौर अधिवक्ता। अधिवक्ता श्री के0पी0राठौर ने एक आवेदनपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आरोप विरचित करने के विरुद्ध प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए आरोप को अपास्त कर दिया है और इसी आधार पर आरोपीगण को दोषमुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई है। आवेदन के साथ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल रिवीजन क्रमांक 1164/16 ( अरविंद सिंह एवं अन्य वि0 म0प्र0 राज्य एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 18.05.2017 की प्रति प्रस्तुत की है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के संध में श्री के0पी0 राठौर अधिवक्ता ने प्रतिलिपि की सत्यता के संबंध में अपना शपथपत्र प्रस्तुत किया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अवलोकन से दर्शित होता है कि प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध दिनांक 14.10.2016 को भा.द.वि की धारा 306 का आरोप विरचित करने का जो आदेश दिया था उसे इस आधार पर अपास्त किया है कि प्रकरण में भा.द.वि की धारा 107 एवं 306 के आवश्यक तत्व उपलब्ध नहीं हैं और पुनरीक्षणकर्ता/आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत याचिका को स्वीकार करते हुए इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश आरोप विरचित दिनांक 14.10.16 को अपास्त किया गया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा क्रिमिनल रिवीजन क्रमांक 1164/16 में पारित आदेश दिनांक 10.05.2017 के द्वारा आरोप अपास्त किये जाने से आरोपीगण को दोषमुक्त किया जाता है। प्रकरण समाप्त। प्रकरण में कोई मूल्यवान सम्पत्ति जप्त नहीं है। जप्तशुदा सम्पत्ति मूल्यहीन होने से नष्ट की जाए। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।</p> <p>(वीरेन्द्र सिंह राजपूत) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला- भिण्ड म0प्र0</p>	